

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 149/10

संस्थापन दिनांक-11/8/2010

सर्वेश कुमार पुत्र बाबूलाल, जाति ब्राम्हण
आयु 45 साल निवासी ग्राम तारौली थाना मौ
तहसील गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

-----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

वि रु द्ध

- 1- शिवनारायण पुत्र कैलाश नारायण जाति ब्राम्हण
- 2- कामताप्रसाद पुत्र बाबूलाल
- 3- प्रमोद कुमार पुत्र कामताप्रसाद
- 4- भीष्म पुत्र पप्पू शर्मा
- 5- राहुल पुत्र सर्वेश कुमार, समस्त जाति ब्राम्हण,
निवासीगण ग्राम तारौली थाना मौ, तहसील गोहद

-----प्रतिपुनरीक्षणकतागण/अनावेदकगण

न्यायालय-अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, गौहद जिला-भिण्ड के प्रकरण
क्रमांक-20/10 धारा-145 जा.फौ. एवं संलग्न प्रकरण
क्रमांक-85/09-10 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 03/8/2010 से
उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 16 सितंबर 2014 को पारित किया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-399 द.प्र.सं. के तहत न्यायालय एस.डी.एम. गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक-20/2010 X 145 द.प्र.सं. एवं प्रकरण क्रमांक-85/09-10 बी 121 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक-03/8/2010 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता का आवेदनपत्र धारा-145 द.प्र.सं. आवेदनपत्र दिनांक 03/8/10 को स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा अनावेदकगण को किए गये अवैध निर्माण व अतिक्रमण को हटाकर आवेदक के निस्तार व सार्वजनिक रास्ता बहाल करने हेतु आदेशित किया गया है ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के एक ही ग्राम के निवासी हैं।
3. पुनरीक्षणकर्ता की याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में निकट की पेशियां लगाकर अतिशीघ्र निराकरण करके भावनात्मक आदेश पारित किया है, जबकि अनावेदक क्र.-1 के कथन से

निगरानीकर्ता के मकान की देहरी करीब तीन साढ़े तीन फुट ऊंची है, जिससे पशुओं व स्वयं का आवागमन बिना स्लोब के संभव नहीं है, जिसका समर्थन राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन से भी होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पंचनामा 2/8/10 एवं नायब तहसीलदार वृत्त मौ के प्रतिवेदन पर बिना ध्यान दिये तथ्यों व साक्ष्य को अनदेखा कर सरमाइनर के आधार पर आदेश पारित करने में भारी भूल की है। निगरानीकर्ता की पत्नी बिकलांग है, जो घर से बाहर नहीं जा सकती।

4. निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद न होने से प्रकरण कलेक्टर महोदय भिण्ड व सी.जे.एम. भिण्ड के न्यायालय में प्रकरण को अंतरित करने की प्रार्थना की है, जिसपर से अधीनस्थ न्याया. से स्पष्टीकरण मांगा, जिससे अधीनस्थ न्यायालय उससे क्रोधित हो गये और क्रोधवश नुकसान पहुंचाने के लिए आलोच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र.-2 लगायत-5 को प्रकरण के बारे में कोई सूचना किसी प्रकार से विधिवत नहीं दी है जिससे निगरानीकर्ता के साथ निगरानी में शामिल नहीं हुए।
5. अतः आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन स्वीकार कर प्रतिनिगरानीकर्ता क्र.-1 के व्यय से निगरानीकर्ता का स्लोब जमीन सतह से दरवाजा तक बनवाये जाने संबंधी आदेश पारित कर आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
6. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया गया है।
7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किए हैं।
8. प्रकरण के निराकरण हेतु बिन्दु विचारणीय यह है कि—“क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 03/8/2010 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है?”

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया।
10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/आवेदक शिवनारायण के द्वारा एक आवेदनपत्र कामताप्रसाद वगैर अर्थात् पुनरीक्षणकर्ता एवं औपचारिक प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध इस आशय का पेश किया गया कि उसके मकान के सामने पड़ी निस्तार की जगह पर अतिक्रमण कर रहे हैं और उनका रास्ता बंद हो जायेगा जो आवेदनपत्र एस. डी.एम. द्वारा थाना प्रभारी मौ को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित हुए प्रतिवेदन हेतु दिनांक-19/5/2010 को भेजा।

11. प्रतिवेदन प्राप्त ना होने पर पुनः दिनांक-16/6/2010 को आवेदनपत्र किया गया, जिसमें कामताप्रसाद वगैरें द्वारा चबूतरे से लेकर पूर्व-पश्चिम में खुली जगह में मिट्टी डाल देना और उससे आवागमन बंद हो जाना तथा निकलने में बाधा उत्पन्न कर झगडा आदि पर आमादा होने के संबंध में आवेदनपत्र दिया और रास्ता खुलवाये जाने और मिट्टी हटवाये जाने का निवेदन किया । जिसे भी थाना प्रभारी को भेजा गया और यह निर्देश जारी किया गया कि सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण ना करें व मिट्टी डालकर रास्ता अवरुद्ध ना करें और स्वरूप ना बिगाड़े । कार्यवाही एवं स्थल निरीक्षण हेतु थाना प्रभारी मौ, पटवारी व सरपंच को भी निर्देश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये ।
12. दिनांक-17/6/2010 को प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण शिवनारायण द्वारा धारा-133, 145 द.प्र.सं. का आवेदनपत्र दिया गया, जिसका प्रकरण क्रमांक-20/2010 पंजीबद्ध कर दोनों प्रकरण अर्थात् मूल शिकायती आवेदनपत्र पर दर्ज प्रकरण क्रमांक-85/9-10 बी-121 समेकित करते हुए कार्यवाही की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक-3/8/10 को पारित किया, जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका ऊपर वर्णित आधारों पर पेश की गयी है ।
13. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने लिये गये आधारों में इस बात पर अधिक बल दिया है कि एस.डी.एम. द्वारा की गयी कार्यवाही में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी, ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया । केवल शिवनारायण को सूचना दी और सर्वेश का भाई कामताप्रसाद 25 वर्षों से अधिक समय से उज्जैन में रहकर नौकरी करता है । अर्थात् सर्वेश पर कोई सूचना नहीं मिली, इसी आधार पर कार्यवाही निरस्ती योग्य है ।
14. जिसपर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर यह विदित है कि मूल शिकायती आवेदनपत्र रास्ता खुलवाने, अवरोध हटवाने के लिए दिनांक-16/6/2010 को पेश हुआ था और उसमें अंतरिम आदेश पारित करते हुए पेशी दिनांक-30/6/2010 नियत की गयी थी । दिनांक-30/6/2010 को सत्रेश कुमार अर्थात् पुनरीक्षणकर्ता जो कि कामताप्रसाद का भाई है, वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसे आवेदनपत्र व नक्शा की प्रति दी गयी, जवाब के लिए दिनांक-12/7/2010 की पेशी नियत की गयी, उस दिन धारा-145 का प्रकरण भी संलग्न किया गया और जवाब के लिए दिनांक-13/7/2010 की पेशी नियत की गयी । जिस दिन पुनरीक्षणकर्ता सर्वेश कुमार की ओर से जवाब आवेदनपत्र पेश किया गया, उसकी ओर से अभिभाषक भी उपस्थित हुए और स्थल निरीक्षण का आदेश भी किया गया और पुलिस एवं पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराया गया । सर्वेश कुमार के पुनः निवेदन पर नायब तेहसीलदार मौ से भी स्थल निरीक्षण कराया गया है और तत्कालीन नायब तेहसीलदार मौ के द्वारा स्थल निरीक्षण कर मौके की जांच की गयी और उसमें कथन भी लिये गये । इससे पुनरीक्षणकर्ता का यह आधार कि उसे कोई सूचना नहीं मिली और सुनवाई का अवसर नहीं दिया, यह अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से भी खण्डित हो जाता है ।
15. जहां तक पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षणयाचिका में यह आपत्ति भी ली गयी है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण में शीघ्रता

से कार्यवाही करना न्याय के उद्देश्यों को विफल नहीं करता है । परंतु शीघ्र न्याय करना तो न्याय की कसौटी है, इसिलिये जिन विषयों का उल्लेख पुनरीक्षण याचिका में करते हुए आक्षेप किया गया है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । ना ही वह पुनरीक्षण याचिका का आधार हो सकता है, क्योंकि प्रकरण के शीघ्र निराकरण में पीठासीन अधिकारी की रुचि रखना उसकी निष्ठा पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाता । इसिलिये यह आधार उचित नहीं माना जा सकता है ।

16. प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर पुनरीक्षण याचिका का अतिक्रमण और निर्माण मानते हुए उसे अवैध मानते हुए उसे हटाया जाना और सार्वजनिक स्थल बहाल करने संबंधी आदेश पारित किया गया है । धारा-133 द. प्र.सं. के उपबंध मुताबिक लोक न्यूसेंस को हटाने के लिए एस.डी.एम. सशर्त आदेश करने में सक्षम है और उक्त उपबंध मुताबिक —

जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि —

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिये ; अथवा

यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके सक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जायेगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करें कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए ।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से दिए गये किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत् नहीं किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण— “लोक स्थान” के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गये मैदान भी हैं ।

17. धारा-145 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक —**जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहाँ प्रकिया —**

- (1) जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों, और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने-अपने दावों का लिखित कथन पेश करें ।
- (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “भूमि या जल ” पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीनक्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं ।
- (3) इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट

निदिष्ट करे, और कम से कम एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी।

- (4) मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का, जो ऐसे पेश किए गये हैं, परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसी सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाये, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो; लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो यह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिये गये आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था :

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के, जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व दो मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था।

(5) इस आधार की कोई बात, हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उसपर आगे की सब कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी किन्तु उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

18. जहां तक पुनरीक्षणकर्ता का यह आक्षेप है कि उसे साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से अनावेदक पुनरीक्षणकर्ता सर्वेश कुमार की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं साक्ष्य लिये जाने हेतु कोई प्रार्थना की गयी है, ऐसा दर्शित नहीं होता है और जो कार्यवाही की गयी, उसमें पुलिस द्वारा, पटवारी द्वारा, आर.आई. एवं नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर की गयी जांच में साक्ष्य ली गयी है, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता का भी कथन लिया गया है, मूल अभिलेख पर नायब तहसीलदार मौ द्वारा दोनों पक्षों के कथन लिये गये हैं, जिसे नायब तहसीलदार ने अपने जांच प्रतिवेदन का अंग भी बनाया है और दिनांक 26/7/2010 के नायब तहसीलदार मौ के प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख है कि स्थल का पंचनामा बनाया गया था, बीडियोग्राफी भी करायी गयी है, जिसके संबंध में पुनरीक्षणकर्ता मौन है।

19. शिवनारायण और सर्वेश कुमार के कथन भी लिये गये, जिसमें शिवनारायण द्वारा यह बताया गया था कि उसके दरवाजे के सामने सर्वेश कुमार और कामताप्रसाद द्वारा एक ट्रॉली मिट्टी, पटिया, रेत आदि डाला गया है, जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया है और उसे अपनी गाड़ी खड़ी करने में भी समस्या होती है तथा उसने यह भी व्यक्त किया कि यदि सर्वेश कुमार मिट्टी रेत, पटिया, हटा लेता है और दरवाजे से स्लोब बना लेते हैं तो उनका कोई विवाद नहीं रहेगा। सर्वेश कुमार के कथन में भी रखे हुए पटिया के टुकड़ों को हटा लेने, दरवाजे से रपटा बना लेने की बात कही गयी थी, जिसका पंचनामा में भी उल्लेख है। ऐसे में साक्ष्य व सुनवाई का अवसर न मिलने का लिया गया आधार बेबुनियाद

हो जाता है और नायब तहसीलदार द्वारा तत्पश्चात् दिनांक-29/7/2010 को जो जांच रिपोर्ट दी गयी, उसमें सर्वेश कुमार के द्वारा लिये गये समय के पश्चात् भी मटेरियल को नहीं हटाया, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उसका भी पंचनामा संलग्न है, जो नजरी नक्शा अभिलेख पर पेश किया है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश का भाग बनाते हुए आलोच्य आदेश पृष्ठ क्रमांक-7 में उल्लेखित किया है, उससे भी खुली जगह में निर्माण सामग्री डालकर व्यवधान उत्पन्न करना दर्शित होता है।

20. ऐसे में हटाने जाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है, वह अवैध, अनुचित या औचित्यहीन नहीं माना जा सकता है। क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर किसीको भी निर्माण की अनुकूल नहीं होती है और सार्वजनिक स्थल की स्थिति बहाल किए जाने का आदेश अनुचित नहीं है। अभिलेख पर ग्राम पंचायत का प्रमाणीकरण भी सरपंच द्वारा दिया गया था जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पंचायत से पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा कोई निर्माण की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।
21. अभिलेख पर इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं है कि पुनरीक्षणकर्ता और उसके अन्य परिजनों जो कि मूल प्रकरण में अनावेदक थे, उन्हें आवेदक अर्थात् प्रतिपुनरीक्षणकर्ता शिवनारायण के पितामह द्वारा मकान बनाने के लिए जमीन दान दी गयी थी और सामने की खुली जमीन नहीं दी गयी थी, जिसपर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पाया गया है। मौके पर जांच करने वाली एजेंसी जिसमें पटवारी, आर.आई., नायब तहसीलदार और पुलिस से भी जांच करायी गयी, सभी ने पुनरीक्षणकर्ता के संबंध में यह आक्षेप किया है कि उसने जांच में सकारात्मक सहयोग नहीं दिया है, जिसका उल्लेख उनके प्रतिवेदनों में भी किया गया है और आलोच्य आदेश में भी किया गया है, जबकि नायब तहसीलदार से स्थल निरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता के आवेदनपत्र पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कराया गया था। ऐसे में भी लोक न्यूसेंस हटाये जाने का पारित आदेश अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है।
22. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा-248 एम.पी.एल.आर.सी. के संबंध में उठाये गये बिन्दु भी निरर्थक हैं, क्योंकि मामले में धारा-248 एम.पी.एल.आर.सी. के तहत कार्यवाही नहीं की गयी, बल्कि लोक न्यूसेंस को हटाने संबंधी धारा-133 और धारा-145 द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है। जिसका क्षेत्राधिकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को था।
23. दिनांक-16/6/2010 को एस.डी.एम. के द्वारा किया गया आदेश धारा-145 (1) द.प्र.सं. की कार्यवाही किए जाने को इंगित करता है, हालांकि यह सही है कि आदेश में प्रावधान का उल्लेख अवश्य नहीं है, किन्तु उससे गुणदोषों पर कोई प्रभाव नहीं माना जा सकता है। जहां तक यह बिन्दु उठाया गया है जांच में शपथ पर कथन नहीं होते हैं, जो नायब तहसीलदार द्वारा लिये गये हैं और कथनों का प्रमाणीकरण नहीं किया है। इस संबंध में शिवनारायण और सर्वेश कुमार के नायब तहसीलदार द्वारा मौके की जांच के दौरान लिये गये कथनों पर विचार किया गया।

24. चूंकि दिनांक-26/7/2010 को मौके पर कार्यवाही करते हुए उनके कथन शपथपूर्वक लिये गये हैं । कथनों में सर्वेश कुमार के कथन के अंत में यह उल्लेख किया गया है कि “कथन किए, जो सही हैं । वक्त पर काम आवे ।” शिवनारायण के कथन में ऐसा प्रमाणीकरण नहीं है किन्तु आपत्ति सर्वेश कुमार की तरफ से ही है । यदि जांच अधिकारी ने शपथ पर कथन लेने का उल्लेख अंकित कर दिया है तो उससे गुणदोषों पर प्रभाव नहीं पड़ता है और यह तकनीकी बिन्दु है जिससे पूरी कार्यवाही दूषित नहीं मानी जा सकती है । प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता सर्वेश कुमार की ओर से जो विस्तृत जवाब दिनांक-13/7/2010 को दिया गया था, उसके साथ नजरी नक्शा भी बनाया और जो नजरी नक्शा आलोच्य आदेश में भी दर्शित किया गया है, उसमें समरूपता प्रकट होती है, जैसा कि आलोच्य आदेश के पृष्ठ क्रमांक-7, 8 में निष्कर्ष भी दिया है ।
25. ऐसे में की गयी कार्यवाही को देखते हुए यह प्रकट नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों को अनदेखा करके आलोच्य आदेश पारित कर या किसी पूर्वागृथ से गृथित होकर किया जाना भी परिलक्षित नहीं होता है । जैसा कि पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में आपत्ति ली है और धारा-145 द.प्र.सं. की कार्यवाही करते समय पूर्व की स्थिति ही देखी जाती है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष आया है ।
26. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से आलोच्य आदेश को चुनौती देते हुए यह प्रार्थना भी की गयी है कि प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक-1 शिवनारायण के व्यय पर उसका रपटा जमीन सतह से दरवाजे (दासा) बनवाये जाने का आदेश भी प्रदान किया जावे । ऐसी प्रार्थना पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है । ऐसे में प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार योग्य नहीं है ।
27. ऐसे में विद्वान एस.डी.एम. गोहद का आलोच्य आदेश दिनांक-03/08/2010 विधि सम्वत् होकर पुष्टि योग्य है और प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण में कोई बल नहीं है ।
28. फलतः आदेश की पुष्टि करते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है ।
29. आदेश की प्रति एस.डी.एम. गोहद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ भेजी जावे ।

दिनांक 16-09-2014

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड